बिहार सरकार

संख्या– 4/पी1–10–09/2010 गृ0आ0

गृह विभाग

(आरक्षी)

संकल्प

त्त विभाग से नौपचारिक रुप परामर्शित

विषय : **उग्रवादी, नक्सलवादी एवं संगठित अपराधियों से मुंठभेड़ मे घायल पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों (सैप सहित) को सहायय अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।**

राज्य में उग्रवादी, नक्सलबादी एवं संगठित अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान कई पुलिस पंदाधिकारी, पुलिस कर्मी एवं सैप कर्मी धायल हो जाते हैं एवं इनमें से कुछ स्थायी रुप से विकलांग भी हो जाते है। वर्तमान में धायल पुलिस कर्मियो की सेवा–सुश्रूषा की व्यवस्था नहीं रहने के कारण पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता है। जिसका कुप्रभाव पुलिस बल के मनोबल पर पड़ता है।

2. अतः पुलिस बल के कल्याण एवं मनोबल को बनाये रखने हेतु सरकार ने पूर्ण विचारोपरान्त उग्रवादी, नक्सलवादी एवं संगठित अपराधियों से मुटभेड़ मे घायल पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों (सैप सहित) को सहायय अनुदान निम्न प्रकार स्वीकृत करने का निर्णय लिया है :–

क्रमांक	जख्म का प्रकार	स्वीकृत की जानेवाली राशि	स्वीकृत हेतु सक्षम प्राधिकार
1	सामान्य जख्म	रु0 50,000 (पचास हजार रु0)तक	पुलिस महानिदेशक, बिहार
2.	गंभीर जख्म/स्थायी विकलांगता	रु0 1,00,000 (एक लाख रु0) तक	पुलिस महानिदेशक, बिहार
		रु0 1,00,000 (एक लाख रु0) से उपर 3,00,000 (तीन लाख रु0) तक	**मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे :–** **1. गृह सचिव** 2. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) 3. स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी 4. वित्त विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी

3. यह आदेश दिनांक 26.08.2010 से प्रभावी होगा।

4. इस हेतु प्रावधानित राशि पर सीधा नियंत्रण पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का होगा, तथा राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना होगें एवं जिला स्तर पर जिला के पुलिस अधीक्षक होगें।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति सभी, विभागीय प्रधान सचिवों/सचिवों/ विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ज्ञाप संख्या– 4/पी1–10–09/2010 गृ0आ0 7240 पटना, दि0 01 – सितम्बर, 2010

प्रतिलिपिः– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प की 1000 प्रतियाँ कार्यालय उपयोग हेतु गृह (आरक्षी) विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

परवेज हसन 01.9.2010
(परवेज हसन)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या– 4/पी1–10–09/2010 गृ0आ0 7240 पटना, दि0 01 – सितम्बर, 2010

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/पुलिस उप–महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना/ सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस महानिदेशक अपने स्तर से भी अपने सभी अधिनस्थों को इसकी जानकारी दे देंगें।

3. सभी जिला दंडाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

परवेज हसन 01.9.2010
(परवेज हसन)
सरकार के अवर सचिव।